

**Government of India  
Ministry of Corporate Affairs  
DIN Cell**

A-14, PDIL Bhawan, Sector-1,  
Noida-201301  
Reference No: B45480720/2337828  
Date: 16-08-2012

To  
MS. DANUTA MALGORZATA ORLEWICZ D/O JAN ORLEWICZ  
Date of birth: - 10-10-1953  
30-305, KRAKOW  
PULASKIEGO 10 M, 48  
KRAKOW - 30305 POLAND

**Sub: - Allotment of Director Identification Number (DIN)**

Dear Sir/Madam,

Kindly refer to your application for allotment of a regular Director Identification Number. It is to inform that your application has been approved and **DIN 05356228** is allotted to you on regular basis. Your above-mentioned DIN has been activated. Please mention your DIN at the appropriate place while filling forms and applications with ROC or to any other authority under the Ministry of Corporate Affairs.

You may also kindly note that as per companies (Director Identification Number) Rules, 2006, you are required to intimate your DIN to the company or companies in which you are a director within 30 days of receipt of this letter in Form. No. DIN 2. Further, the company is required to intimate the concerned Registrar of Companies about the DINs allotted to its Directors in Form. No. DIN 3 within 7 days of receipt of the information from the director(s).

Yours faithfully

(P. Sheela)  
Joint Director (Inspection)  
Authorized Officer  
DIN Processing Cell  
Ministry of Corporate Affairs

भारत सरकार  
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  
डीआईएन सैल

ए-१४, पीडीआईएल भवन, सैक्टर-१,  
नोएडा - २०१३०१  
सन्दर्भ संख्या: ए४५४८०७२०/२३३७८२८  
दिनांक: १६-०८-२०१२


विषय: निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का आवंटन

प्रिय श्रीमान /श्रीमती,

कृपया नियमित निदेशक पहचान संख्या के आवंटन हेतु अपने आवेदन का संदर्भ ले। यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन को अनुमोदित कर दिया गया है एवं आपको डीआईएन ०५३५६२२८ नियमित आधार पर आवंटित किया जाता है। कम्पनी रजिस्ट्रार या कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को फार्म या आवेदन फाइल करते समय कृपया उचित स्थान पर अपने डीआईएन का उल्लेख करें।

कृपया आप यह भी नोट करें कि कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम २००६ के अनुसार आप उस कम्पनी या उन कम्पनियों जिसके/जिनके आप निदेशक हैं, को फार्म संख्या डीआईएन - २ में इस पत्र की प्राप्ति के ३० दिनों के अंदर अपने डीआईएन के बारे में अवश्य सूचित कर दें। पुन निदेशक/निदेशको से सूचना प्राप्ति के ७ दिनों के अंदर कम्पनी द्वारा फार्म संख्या डीआईएन - ३ में अपने निदेशको को आवंटित डीआईएन के बारे में संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रारों को सूचित करना आवश्यक है।

भवदीया,



(पी. शीला)  
संयुक्त निदेशक (निरीक्षण)  
प्राधिकृत अधिकारी  
डिन प्रोसेसिंग प्रकोष्ठ  
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय